"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2022—आश्विन 15, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 अगस्त 2022

क्रमांक ई 1-12/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 15/1/2022-EO (MM-I), दिनांक 12-08-2022 के तारतम्य में श्री नीरज कुमार बनसोड, भा.प्र.से. (2008), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेश पर्यन्त, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को निदेशक, केबिनेट सचिवालय के पद पर नियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से सौंपते हुए कार्यमुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 अगस्त 2022

क्रमांक एफ 6-3/2022/1-7.—कु. नम्रता नोरगे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, दुर्ग की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1319/PS LAW/2394/XXI-B/2022, दिनांक 04-08-2022 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर विधि अधिकारी के पद पर पदस्थ करने हेतु सौंपी गई है.

2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा कु. नम्रता नोरगे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, दुर्ग की सेवाएं छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग में विधि अधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 सितम्बर 2022

क्रमांक/एफ 19-02/2012/25-2.—विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 16-10-2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति सदस्य नामांकित किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा हज कमेटी 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 एवं छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम 2002 के नियम 4 सहपठित नियम 5 में निहित प्रावधानानुसार समिति के सदस्य हेतु श्री मोहम्मद असलम खान पिता-मोहम्मद अकरम खान, नयापारा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को नामांकित करता है.

3. यह अधिसूचना दिनांक 18-10-2022 से प्रभावशील मानी जावेंगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 सितम्बर 2022

क्रमांक/एफ 19-02/2012/25-2.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-01-2022 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का गठन किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा हज कमेटी 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 एवं छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम 2002 के नियम 4 सहपठित नियम 5 में निहित प्रावधानानुसार समिति के सदस्य हेतु निम्नलिखित को नामांकित करता है :—

क्र. (1)	हज समिति की धारा (2)	मनोनित सदस्य (3)
01.	**नियम की धारा 05 की उपधारा (02) — 02 03 मुस्लिम सदस्यों में से :—** राज्य के स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका) के मुस्लिम सदस्यों में से	(1) श्री इमरान खान, पिता-मोहम्मद इकबाल खान, पार्षद, सदर वार्ड, नगर पालिक निगम, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.). (2) श्री अफरोज अंजुम, एल्डरमेन, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.). (3) श्री मो. इमरान, पिता-अब्दुल सुभान, पार्षद, नगर पालिका परिषद, अकलतरा, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)

(1)	(2)	(3)
02.	**नियम की धारा 05 की उपधारा (02) — 04 05 मुस्लिम सदस्य :—** ऐसे मुस्लिम स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधियों से जो सार्वजनिक प्रशासकीय, वित्तीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत् हो.	(1) श्री अब्दुल रज्जाक खान, पिता-मिश्री खान (भक्कू), मौदहापारा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.).

3. मनोनित सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 03 वर्ष होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एमरेंसिया खेस्स, उप- सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

Nava Raipur, Atal Nagar the 8th September 2022

No. 2601-2602/F-18/02/2022/CII/13/2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the State Government, hereby, declares the following systems and their associated information infrastructure dependencies at State Load Dispatch Centre (SLDC). Raipur Chhattisgarh to be a Protected System for the purpose of the said Act.

(i) Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System
(ii) Unified Real Time Dynamic State Measurement (URTDSM) System
(iii) Web Based Energy Scheduling (WBES) System

2. This Notification shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 सितम्बर 2022

क्रमांक 2742/एफ 12/02/2012/13/2.—छत्तीसगढ़ राज्य में 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नीति-निर्देश एवं पारदर्शी आवंटन की प्रक्रिया हेतु ऊर्जा विभाग के आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2012 द्वारा 10 वर्षों हेतु दिशा-निर्देश जारी की गई है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त आदेश की कंडिका-16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त दिशा-निर्देश की कंडिका-15 में निहित अवधि में 10 वर्षों की और वृद्धि करती है.

3. पूर्व में जारी दिशा-निर्देश की अन्य कंडिकाएं यथावत प्रभावशील रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 सितम्बर 2022

क्रमांक एफ 10-85/2020/वा.क. (आब.)/पांच (79).—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदाय के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित किया गया है उक्त जारी अधिसूचना में, विभाग द्वारा जारी कराई जाने वाली सेवा एवं समयावधि में संशोधन, निम्नानुसार किया जाता है :—

अनुसूची

क्र	कार्यालय का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)		सेवाप्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
			कार्यालय का स्तर	समय सीमा			
1	3	4	5	6	7	8	9
1	आयुक्त आबकारी	नवीन अनुज्ञप्ति – आर.एस. 1 – परिशोधित स्प्रिट के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	15 दिवस	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)
2	आयुक्त आबकारी	नवीनीकरण – आर. एस. 1 – परिशोधित स्प्रिट के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	15 दिवस	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)
3	आयुक्त आबकारी	नवीन अनुज्ञप्ति – आर.एस. 2ए – ठोस तत्व और अन्य क्षारीय औषधियों और तातित रसायनों के, उन्हें छोड़कर जिसमे मद्यसार, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य स्वापक दवाओं का समावेश हो, बनाये जाने में उपयोग के लिये परिशोधित स्पिरिट के कब्जा रखन के लिये अनुज्ञप्ति।	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	15 दिवस	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)
4	आयुक्त आबकारी	नवीनीकरण – आर. एस. 2ए – ठोस तत्व और अन्य क्षारीय औषधियों और तातित रसायनों के, उन्हें छोड़कर जिसमे मद्यसार, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य स्वापक दवाओं का समावेश हो, बनाये जाने में उपयोग के लिये परिशोधित स्पिरिट के कब्जा रखन के लिये अनुज्ञप्ति।	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	15 दिवस	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)
5	आयुक्त आबकारी	नवीन अनुज्ञप्ति – एन.डी. 1 – विनिर्मित औषधि कोका पत्ती की बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति	कलेक्टर (आबकारी)	15 दिवस	कलेक्टर (आबकारी)	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त

6	आयुक्त आबकारी	नवीनीकरण – एन.डी. 1 – विनिर्मित औषधि कोका पत्ती की बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति	कलेक्टर (आबकारी)	15 दिवस	कलेक्टर (आबकारी)	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
7	आयुक्त आबकारी	नवीन अनुज्ञप्ति – एन.डी. 2 – विनिर्मित अफीम को छोड़कर कोका पत्ती और विनिर्मित औषधियों की औषधि विक्रेताओं के द्वारा बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति	कलेक्टर (आबकारी)	15 दिवस	कलेक्टर (आबकारी)	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
8	आयुक्त आबकारी	नवीनीकरण – एन.डी. 2 – विनिर्मित अफीम को छोड़कर कोका पत्ती और विनिर्मित औषधियों की औषधि विक्रेताओं के द्वारा बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति	कलेक्टर (आबकारी)	15 दिवस	कलेक्टर (आबकारी)	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
9	आयुक्त आबकारी	नवीन अनुज्ञप्ति – एफ.एल. – 6– मिलीटरी कैन्टीन थोक अनुज्ञप्ति	कलेक्टर (आबकारी)	15 दिवस	कलेक्टर (आबकारी)	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
10	आयुक्त आबकारी	नवीनीकरण – एफ. एल. – 6 – मिलीटरी कैन्टीन थोक अनुज्ञप्ति	कलेक्टर (आबकारी)	15 दिवस	कलेक्टर (आबकारी)	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
11	आयुक्त आबकारी	नवीन अनुज्ञप्ति – एफ.एल. – 7– मिलीटरी कैन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति	कलेक्टर (आबकारी)	15 दिवस	कलेक्टर (आबकारी)	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
12	आयुक्त आबकारी	नवीनीकरण – एफ. एल. – 7 – मिलीटरी कैन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति	कलेक्टर (आबकारी)	15 दिवस	कलेक्टर (आबकारी)	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
13	आयुक्त आबकारी	नवीन अनुज्ञप्ति – एफ.एल. – 8 – मिलीटरी/पैरामिलीटरी के क्लब अथवा मेस के द्वारा विदेशी मदिरा के धारण हेतु अनुज्ञप्ति	कलेक्टर (आबकारी)	15 दिवस	कलेक्टर (आबकारी)	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
14	आयुक्त आबकारी	नवीनीकरण – एफ. एल. – 8 – मिलीटरी/पैरामिलीटरी के क्लब अथवा मेस के द्वारा विदेशी मदिरा के धारण हेतु अनुज्ञप्ति	कलेक्टर (आबकारी)	15 दिवस	कलेक्टर (आबकारी)	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त

2. उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 15 जुलाई 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201808221800006/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	उसरीजोर	2.006	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	भेजीपदर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 15 जुलाई 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201808221800008/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	गुढ़ियारी	18.119	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	भेजीपदर व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 15 जुलाई 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201808221800010/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	फरसरा	8.587	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	रताखण्ड व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 15 जुलाई 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201808221800011/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	डुमाघाट	3.037	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	रताखण्ड व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 15 जुलाई 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201808221800012/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	काण्डसर	1.970	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	रताखण्ड व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात मलिक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 4 अगस्त 2022

क्रमांक/138/भू-अर्जन/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-भेण्डरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1024/1	0.14
योग		0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -झिपनिया जलाशय (भेण्डरवानी माइनर) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 4 अगस्त 2022

क्रमांक/139/भू-अर्जन/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बेमेतरा
(ख) तहसील-साजा
(ग) नगर/ग्राम-चिल्फी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.65 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	02	0.06
	4/12	1.00
	4/11	0.59
योग		1.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झिपनिया जलाशय योजना के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 4 अगस्त 2022

क्रमांक/140/भू-अर्जन/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बेमेतरा
(ख) तहसील-साजा
(ग) नगर/ग्राम-बरगड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3	0.03
	8/2	0.01
	8/1	0.05
	10	0.01
	11	0.03
	13/1	0.05
योग		0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झिपनिया जलाशय योजना अंतर्गत बरगड़ा फीडर केनाल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 4 अगस्त 2022

क्रमांक/141/भू-अर्जन/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बेमेतरा
(ख) तहसील-साजा
(ग) नगर/ग्राम-रमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	405	0.18
	406	0.07
योग		0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झिपनिया जलाशय योजना अंतर्गत बरगड़ा फीडर केनाल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 4 अगस्त 2022

क्रमांक/142/भू-अर्जन/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बेमेतरा
(ख) तहसील-साजा
(ग) नगर/ग्राम-सोमईखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	574/2	0.02
	576	0.19
	578	0.05
	579	0.03
योग		0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झिपनिया जलाशय योजना अंतर्गत बरगड़ा फीडर केनाल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र कुमार शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 26 अगस्त 2022

क्रमांक/10003/भू-अर्जन/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-कटघोरा
(ग) नगर/ग्राम-सिंघाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.195 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	18/1क, 93/1क में से	0.133
	93/1क में से	0.040
	93/1क में से	0.040
	87/2	0.028
	92/4, 93/1ठ	0.024
	93/1क में से	0.061
	72/1ड	0.121
	71	0.040
	72/1ग	0.242
	93/1क में से	0.040
	92/1	0.036
	93/1ज	0.162
	93/1क में से	0.040
	88/4	0.032
	87/7	0.081
	87/15	0.028
	87/16	0.065
	88/3	0.020
	87/12	0.040
	87/11	0.020
	88/2	0.028
	89/1	0.028
	120	0.028
	87/9	0.032
	106	0.150
	119	0.384
	87/6	0.020
	118 में से	0.073
	118 में से	0.073
	93/1 में से	0.077
योग		2.195

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -कटघोरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 अगस्त 2022

क्रमांक/10006/भू-अर्जन/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-सरईसिंगार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.173 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	23/5	0.004
	377/4	0.081
	358	0.020
	491	0.020
	517	0.020
	87	0.028
योग		0.173

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गंगदेई व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 अगस्त 2022

क्रमांक/10009/भू-अर्जन/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-अरदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.460 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
770/1	0.057
760/1	0.069
770/2	0.020
770/4	0.101
755/1	0.008
755/3	0.012
754/2	0.004
755/5	0.032
753/1	0.012
754/1	0.040
755/4	0.085
641	0.057
410	0.065
642	0.004
419/5	0.032
637/2	0.008
419/2	0.004
420/2	0.040
419/4	0.028
420/3	0.020
638	0.020
640	0.028
876/6	0.246
874/2	0.036
707/1	0.029
707/2	0.012
758/2	0.020
742	0.045
708	0.004
706/4	0.036
746/3	0.016
745/2	0.069
744	0.020
739/4	0.040
739/6	0.004
875	0.008
307/1	0.057

(1)	(2)
307/2	0.073
411	0.041
878/1	0.012
878/2	0.004
424	0.024
423/1	0.028
418	0.077
421	0.020
415/1	0.037
431	0.040
313	0.081
741/1	0.065
743	0.093
740	0.040
709/1	0.061
862/1	0.049
739/3	0.061
393	0.077
739/5	0.077
861/1	0.093
861/2	0.109
301	0.036
394/1	0.045
394/2	0.040
394/3	0.044
314	0.069
315	0.004
309/2	0.121
302	0.057
303	0.012
300/3	0.138
912/3	0.008
294, 912/2	0.161
919/3	0.032
295/2	0.004
862/2	0.032
860	0.016
863/7	0.061
947	0.028
395	0.004
396/1	0.024
863/6	0.081
863/13	0.101
399	0.101
868/1	0.008
498	0.149
293/1	0.032
293/3	0.049
920/1	0.045
291/3	0.105
290/2	0.040
292/1	0.085
290/1	0.101
759/1 में	0.061
415/2	0.016
योग	4.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 अगस्त 2022

क्रमांक 02/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-धौराभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
500/17	0.040
500/24	0.057
500/18 क	0.008
500/18 ख	0.004
500/9	0.032
500/14	0.020
500/21	0.024
500/20	0.040
500/18घ	0.081
1517	0.016
500/5	0.024
428/2	0.020
427/1	0.012
430	0.073
413	0.020
414/2	0.028
420/2	0.008
429	0.032
427/2	0.040
415	0.065
431/1	0.020
431/2	0.024
422/2	0.032
422/3, 422/4	0.012
420/1	0.040
421	0.004
1023/2	0.162
1023/3	0.089
1024/4	0.089
1024/3	0.142
1031/2	0.101
1029/2	0.028
1030/2	0.142
1032/2	0.065
1012/8	0.028
1033/4	0.194
1021	0.008
1033/1	0.016
1034/1	0.053
1036/1	0.263
1037	0.040
1153	0.130
1215/2	0.012
1215/1, 1216/1	0.040
1217	0.166
1218/2	0.113
1218/1, 1218/3	0.097
1220/2	0.053
1220/1	0.045
1215/3, 1216/2	0.154
1219/1, 1224/1	0.053
1219/2, 1224/4	0.130
1171/1, 1171/2	0.121
1179	0.053
1171/3	0.073
1178	0.053
1184, 1185	0.081
1186	0.049
1187	0.129
1188	0.093
1195	0.146
1197, 1198, 1199	0.101
1269/1	0.073
1275	0.085
1204/1	0.206
1204/2, 1204/3	0.109
1204/4	0.049
1268/2	0.040
1389	0.045
1268/1	0.040
1276	0.053
1277	0.093
1390/1	0.142
1387	0.004
1384	0.032
1204/5	0.174
1204/6, 1204/7	0.081
1391/2	0.040
1391/1	0.057
1388	0.069
1396/1	0.020
1397	0.004
1395	0.069
1399/2	0.040
1394/2	0.032
1413	0.053
1430/2	0.081
1428	0.012
1394/1	0.012
1400	0.028
1401	0.057
1404	0.089
1409/2	0.032
1408	0.113

	(1)	(2)
	1412/2	0.028
	1427/1	0.049
	1427/3	0.081
	1437/1	0.085
	1425/3, 1437/2	0.085
	1423/2	0.020
	1424/3	0.028
	1424/4	0.028
	1424/5	0.028
	500/8	0.024
	500/31	0.053
	522/3	0.182
	522/1	0.024
	523/3	0.295
	524	0.259
	1300	0.251
	1299/4	0.106
	1299/2	0.130
	1329/2	0.053
	1329/1	0.065
	1329/3	0.036
	1328/1, 1328/2	0.162
	1328/3	0.081
	1327	0.053
	1325/1	0.008
	1325/2	0.061
	1192	0.049
	1193/1	0.045
	1271/1	0.012
	547/1	0.032
	548/1	0.008
	546/1	0.028
	545/1	0.150
	528/7	0.388
	529	0.012
योग	143	9.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2022

क्रमांक 03/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.521 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
920/1	0.053
920/3	0.032
920/4	0.037
920/5	0.061
922/1	0.045
920/2	0.057
926/3	0.081
921/1	0.040
921/2	0.028
921/3	0.012
916/2	0.077
915/2	0.049
913/2	0.117
904/2	0.061
904/8	0.081
904/5	0.057
904/6	0.057
912	0.032
905/2	0.012
905/3	0.077
899/12	0.053
899/11	0.052
746/3	0.081
746/1	0.097
750/3	0.069
750/7	0.065

(1)	(2)	(1)	(2)
750/2	0.061	151/3	0.049
750/5	0.065	151/4	0.061
685/1	0.036	151/6	0.069
685/9	0.069	151/1	0.028
685/5	0.056	151/7	0.069
657/2	0.032	158/1	0.028
685/2	0.020	767/2	0.032
685/4	0.061	159/2	0.009
695/1	0.036	164/3	0.040
674/2	0.020	164/2	0.024
750/4	0.009	164/1	0.028
745/2	0.020	166/5	0.028
694/2	0.061	163	0.061
694/1	0.101	166/2	0.089
693	0.036	858/1	0.009
696/2	0.157	166/3	0.057
696/1	0.009	167/1	0.065
692	0.081	168	0.121
691	0.040	169/2	0.032
686/2	0.061	181/8	0.048
683	0.049	181/2	0.081
672/1	0.012	181/4	0.028
672/2	0.073	173/2	0.130
673	0.016	108/2	0.052
670/4	0.052	110/1	0.009
670/5	0.081	173/1	0.045
670/3	0.040	175/2	0.040
670/1	0.081	175/1	0.009
657/4	0.040	175/3	0.036
669	0.016	109/2	0.036
667	0.012	108/1	0.044
666/2	0.020	178/3	0.016
528/2	0.036	811	0.040
528/3	0.012	847/2	0.009
663/2	0.065	806/2	0.085
663/1	0.045	806/4	0.065
532/6	0.013	852/4	0.024
531/1	0.065	852/2	0.089
532/5	0.117	852/3	0.020
529	0.009	860/1	0.009
143	0.020	856/1	0.032
142	0.065	856/2	0.028
147	0.065	857	0.065
146/1	0.012	859/2	0.012
144/2	0.009	870/1	0.097
148	0.081	869/3	0.153
146/2	0.024	872/2	0.121
150	0.109	871	0.061

(1)	(2)
872/1	0.065
873	0.085
872/4	0.130
881	0.032
869/4	0.202
868/1	0.162
891	0.146
918/1	0.146
918/2	0.130
922/2	0.186
926/5	0.045
926/1	0.178
929	0.110
930/2	0.061
930/1	0.012
933	0.073
928	0.073
990/1	0.174
990/2	0.045
990/3	0.040
991	0.202
993/1	0.263
996/5	0.081
996/3	0.016
996/4	0.040
996/1	0.053
996/2	0.101
998	0.012
989	0.101
987/1	0.109
987/2	0.040
986/2	0.113
985	0.090
984	0.069
योग 156	9.521

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2119.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/1/32(2)/भा.अधि./2017-18/7522 दिनांक 30-12-2017 द्वारा श्री हरीश नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी केशकाल को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति केशकाल जिला-कोंडागांव (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री हरीश नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी केशकाल के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति केशकाल जिला-कोण्डागांव की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

श्री धन्नू राम मरकाम	अध्यक्ष
श्री युनुस पारेख	उपाध्यक्ष
श्री प्रभुलाल साहू	सदस्य
श्री सुखदेव नेताम	सदस्य
श्री अंकालू राम नाग	सदस्य
श्रीमती सुषमा तिवारी	सदस्य
श्री इमरान आडवानी (व्यापारी प्रति.)	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2121.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/2821 दिनांक 24-08-2020 द्वारा श्री उग्रेश कुमार देवांगन, अनुविभागीय अधिकारी कृषि कोण्डागांव को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री उग्रेश कुमार देवांगन, अनुविभागीय अधिकारी कृषि कोण्डागांव के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूं :—

श्री मंगलूराम नेताम	अध्यक्ष
श्री बिरस प्रसाद साहू	उपाध्यक्ष
श्री रामधर देवांगन	सदस्य
श्री लोकमत दीवान	सदस्य
श्रीमती परनिया पटेल	सदस्य
श्री बंशी यादव	सदस्य
श्री ताराचंद चोपड़ा (व्यापारी प्रति.)	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2123.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/5526 दिनांक 29-12-2021 द्वारा श्री दिनेश कुमार नाग, संयुक्त कलेक्टर जगदलपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री दिनेश कुमार नाग, संयुक्त कलेक्टर जगदलपुर के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर जिला-बस्तर की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूं :—

श्री शेरसिंह सेठिया	अध्यक्ष
श्री आयतू राम भारती	उपाध्यक्ष
श्रीमती गडरी नानी	सदस्य
श्री जयमन गुलूर	सदस्य
श्री प्रकाश दास	सदस्य
श्री बालेश दुबे	सदस्य
श्री कृष्णा नायडू (व्यापारी प्रतिनिधि)	सदस्य

भुवनेश यादव,
संचालक.

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2022

"प्रारूप-ख"

[नियम-4 का उप नियम (1)]

संशोधित

क्रमांक 3999.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट हेतु ग्राम-बगरैल, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन हेतु ग्राम-लारा एस.टी.पी.सी. तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ तक मेसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पो. लि. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 03 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बगरैल	853	0.006
			854/1	0.120
			854/2	0.031
			855/1	0.050
			844	0.147
			855/2	0.121
			845	0.055
			843/2	0.024
			843/1	0.102
			509	0.303
			487	0.099
			484/2	0.024
			843/3	0.135
			841	0.202
			861/1	0.020
			840	0.265
			366/1	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			862/2	0.02
			862/1	0.195
			893/1, 893/2	0.021
			507/2	0.004
			506	0.079
			503	0.132
			366/3	0.020
			505	0.066
			502/2	0.005
			504/3	0.202
			504/1	0.097
			473/1	0.138
			365/4, 367/4	0.073
			504/4	0.073
			362/14	0.109
			371/2	0.008
			504/2	0.116
			484/1	0.028
			485	0.282
			473/2	0.126
			474	0.022
			486/2	0.008
			377/1	0.045
			441	0.184
			442	0.185
			440/2	0.008
			384	0.026
			387/1क	0.032
			440/3	0.067
			383/2	0.067
			387/2क	0.012
			387/2घ	0.105
			390/2	0.025
			387/2ग	0.105
			362/13	0.068
			388	0.067
			387/2ड	0.025
			387/2ख	0.027
			389/1	0.051
			390/1	0.170
			377/3	0.045
			362/9	0.071
			362/2	0.026
			361/2, 363	0.058
			366/2	0.040
			365/2	0.053
			368/1	0.054

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			369/1	0.065
			369/2	0.04
			365/3, 367/3	0.057
			365/1, 367/1	0.007
			370/1	0.008
		कुलयोग	**74**	**5.361**

दिव्या अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 12 जुलाई 2022

क्रमांक 1473/गिरौदपुरी/नग्रानि/2022.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा निम्नलिखित अनुसूचि में विनिर्दिष्ट गिरौदपुरी निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं. इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची
गिरौदपुरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1. **उत्तर में** :— ग्राम मड़वा, अमोदी एवं डेराडीह की उत्तरी सीमा तक.
2. **पश्चिम में** :— ग्राम डेराडीह, मड़वा, गिरौद एवं दर्रा की पश्चिमी सीमा तक.
3. **दक्षिण में** :— ग्राम दर्रा एवं महराजी की दक्षिणी सीमा तक.
4. **पूर्व में** :— ग्राम महराजी, कौवाताल एवं मड़वा की पूर्वी सीमा तक.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 8 सितम्बर 2022

क्रमांक/135/अ.भू.अ./2022.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक/485/रायपुर, सोमवार दिनांक 01 अगस्त 2022 में जारी अधिसूचना के अनुसार गठित नवीन तहसील लाल बहादुर नगर व अपवर्जित तहसील डोंगरगढ़ हेतु मैं डोमन सिंह, कलेक्टर राजनांदगांव छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 एवं 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनांदगांव जिले में गठित नवीन तहसील लाल बहादुर नगर व अपवर्जित तहसील डोंगरगढ़ में संलग्न सूची अनुरूप पटवारी हल्का व राजस्व निरीक्षक मंडल का पुनर्गठन करता हूँ.

तहसील डोंगरगढ़ (अपवर्जित) व नवीन गठित तहसील लाल बहादुर नगर में पुनर्गठन पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक मंडलों की सूची संलग्न है.

डोमन सिंह,
कलेक्टर.

प्रारूप – 1

तहसील डोंगरगढ़ पुनर्गठन पश्चात् अपवर्जित तहसील डोंगरगढ़ में प्रस्तावित नवीन हल्कों की जानकारी

	तहसील का नाम	वर्तमान राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः क्रमांकित प.ह.न.			प.ह.न.में शामिल ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत
				वर्तमान प.ह.न.	प्रस्तावित हल्का नम्बर	मुख्यालय का नाम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	1	1	घोटिया	घोटिया	घोटिया	646.070	
2	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	1	1	घोटिया	बरनाराखुर्द	घोटिया	161.146	
3	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	1	1	घोटिया	कोहकट्टाटोला	घोटिया	121.757	
4	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	1	1	घोटिया	तोतलभर्री	तोतलभर्री	475.311	
5	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	1	1	घोटिया	उदरीछापर	तोतलभर्री	278.394	
6	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	1	1	घोटिया	धिकुडिया	तोतलभर्री	243.891	
	पटवारी हल्के का योग						6	2	1926.569	
7	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	2	2	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	983.829	
8	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	2	2	शिवपुरी	बाकलेडी	शिवपुरी	116.023	
9	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	2	2	शिवपुरी	कन्हारगांव	कन्हारगांव	897.984	
	पटवारी हल्के का योग						3	2	1997.836	
10	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	3	3	डारा	डारा	डारा	1153.829	
11	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	3	3	डारा	डगबोरा	डारा	351.106	
12	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	3	3	डारा	सलोनी	सलोनी	343.221	
13	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	3	3	डारा	छपारा	सलोनी	305.314	
	पटवारी हल्के का योग						4	2	2153.470	
14	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	4	4	मुढ़िया	मुढ़िया	मुढ़िया	408.278	
15		मोहारा	मोहारा	4	4	मुढ़िया	तेन्दूभांठा	मुढ़िया	168.576	
16		मोहारा	मोहारा	4	4	मुढ़िया	बिजनापुर	बिजनापुर	442.122	
	पटवारी हल्के का योग						3	2	1018.976	
17	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	5	5	मोहारा	मोहारा	मोहारा	484.684	
18	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	5	5	मोहारा	सिवनीकला	सिवनीकला	317.257	
19	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	5	5	मोहारा	खैरबना	सिवनीकला	299.293	
	पटवारी हल्के का योग						3	2	1101.234	
20	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	6	6	चैतुखपरी	चैतुखपरी	चैतुखपरी	353.181	
21	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	6	6	चैतुखपरी	केसली	चैतुखपरी	290.769	
22	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	6	6	चैतुखपरी	सहसपुर	सहसपुर	374.009	
23	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	6	6	चैतुखपरी	जारवाही	सहसपुर	290.151	
	पटवारी हल्के का योग						4	2	1308.110	
24	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	7	7	खुर्सीपार	खुर्सीपार	खुर्सीपार	418.760	
25	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	7	7	खुर्सीपार	विष्णुपुर	खुर्सीपार	475.781	
26	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	7	7	खुर्सीपार	पुरैना	पुरैना	548.785	
27	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	7	7	खुर्सीपार	मनकी	पुरैना	217.509	
	पटवारी हल्के का योग						4	2	1660.835	
28	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	8	8	बिल्हरी	बिल्हरी	बिल्हरी	535.746	
29	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	8	8	बिल्हरी	सेम्हरा	सेम्हरा	390.473	
30	डोंगरगढ़	मोहारा	मोहारा	8	8	बिल्हरी	गातापारखुर्द	सेम्हरा	238.047	
	पटवारी हल्के का योग					8	3	2	1164.266	
	रा.नि.म. का योग					8	30	16	12331.296	

	तहसील का नाम	वर्तमान राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः कमांकित प.ह.न.			प.ह.न.में शामिल ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत
				वर्तमान प.ह.न.	प्रस्तावित हल्का नम्बर	मुख्यालय का नाम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	9	9	खैरा	खैरा	खैरा	369.881	
32	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	9	9	खैरा	खुडमुडी	खैरा	215.816	
33	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	9	9	खैरा	पेन्ड्री	पेन्ड्री	342.172	
34	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	9	9	खैरा	अन्या नवागांव	पेन्ड्री	357.831	
	पटवारी हल्के का योग						4	2	1285.700	
35	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	10	10	कसारी	कसारी	कसारी	491.271	
36	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	10	10	कसारी	ठेकवा	कसारी	215.424	
37	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	10	10	कसारी	रूवातला	रूवातला	745.729	
	पटवारी हल्के का योग						3	2	1452.424	
38	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	11	11	सलटिकरी	सलटिकरी	सलटिकरी	577.567	
39	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	11	11	सलटिकरी	बसंतपुर	सलटिकरी	218.066	
40	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	11	11	सलटिकरी	कोलिहापुरी(छी)	कोलिहापुरी(छी)	327.394	
41	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	11	11	सलटिकरी	गाडाभंवर	कोलिहापुरी(छी)	139.304	
	पटवारी हल्के का योग						4	2	1262.331	
42	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	12	12	पलान्दुर	पलान्दुर	पलान्दुर	601.064	
43	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	12	12	पलान्दुर	छीपा	छीपा	388.891	
44	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	12	12	पलान्दुर	डोडकी	छीपा	283.988	
	पटवारी हल्के का योग						3	2	1273.943	
45	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	13	13	मुसराकला	मुसराकला	मुसराकला	351.056	
46	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	13	13	मुसराकला	मुसराखूर्द	मुसराकला	319.204	
47	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	13	13	मुसराकला	बडे कुसमी	बडे कुसमी	242.562	
48	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	13	13	मुसराकला	छोटे कुसमी	बडे कुसमी	306.008	
	पटवारी हल्के का योग						4	2	1218.830	
49	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	14	14	भानपुरी	भानपुरी	भानपुरी	386.676	
50	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	14	14	भानपुरी	कातलवाही	कातलवाही	271.215	
51	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	14	14	भानपुरी	आलीवारा	आलीवारा	370.213	
	पटवारी हल्के का योग						3	3	1028.104	
52	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	15	15	पारागांवकला	पारागांवकला	पारागांवकला	375.127	
53	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	15	15	पारागांवकला	आरबीरा	पारागांवकला	293.133	
54	डोंगरगढ़	मुसराकला	मुसराकला	15	15	पारागांवकला	पारागांवखुर्द	पारागांवखुर्द	622.877	
	पटवारी हल्के का योग						3	2	1291.137	
	रा.नि.म. का योग			7		7	24	15	8812.469	
60	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	16	16	बेलगांव	बेलगांव	बेलगांव	801.916	
61	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	16	16	बेलगांव	माड़ीतराई	माड़ीतराई	310.393	
62	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	16	16	बेलगांव	लमानिनभांठा	माड़ीतराई	358.397	
	पटवारी हल्के का योग						3	2	1470.706	
63	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	17	17	ठाकुरटोला(को)	ठाकुरटोला(को)	ठाकुरटोला(को)	410.261	
64	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	17	17	ठाकुरटोला(को)	कोलेन्द्रा	कोलेन्द्रा	326.245	
65	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	17	17	ठाकुरटोला(को)	डारागांव	कोलेन्द्रा	85.811	
	पटवारी हल्के का योग						3	2	822.317	
66	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	18	18	देवकट्टा	देवकट्टा	देवकट्टा	514.383	
67	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	18	18	देवकट्टा	रीवांगहन	रीवांगहन	203.018	
68	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	18	18	देवकट्टा	कातलवाही	रीवांगहन	289.977	
	पटवारी हल्के का योग						3	2	1007.378	

	तहसील का नाम	वर्तमान राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः कमांकित प.ह.न.			प.ह.न.में शामिल ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत
				वर्तमान प.ह.न.	प्रस्तावित हल्का नम्बर	मुख्यालय का नाम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	19	19	कलकसा	कलकसा	कलकसा	159.919	
70	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	19	19	कलकसा	लोहझरी	कलकसा	251.687	
71	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	19	19	कलकसा	लतमर्रा	कलकसा	226.391	
72	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	19	19	कलकसा	सन्डीडीह	कलकसा	333.520	
73	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	19	19	कलकसा	भैंसरा	भैंसरा	227.600	
74	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	19	19	कलकसा	कटली	भैंसरा	359.173	
	पटवारी हल्के का योग						6	2	1558.290	
58	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	20	20	जटकन्हार	जटकन्हार	जटकन्हार	412.191	
59	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	20	20	जटकन्हार	धुसेरा	धुसेरा	410.561	
	पटवारी हल्के का योग						2	2	822.752	
55	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	21	21	नागतराई	नागतराई	नागतराई	339.113	
56	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	21	21	नागतराई	हरणसिंघी	हरणसिंघी	457.028	
57	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	21	21	नागतराई	जामरी	जामरी	347.236	
	पटवारी हल्के का योग						3	3	1143.377	
75	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	22	22	अछोली	अछोली	अछोली	430.749	
76	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	22	22	अछोली	करवारी	करवारी	602.842	
77	डोंगरगढ़	बेलगांव	बेलगांव	22	22	अछोली	पीपरखारखुर्द	करवारी	230.257	
	पटवारी हल्के का योग						3	2	1263.848	
	रा.नि.म. का योग			7	7	7	23	15	8088.668	
78	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	23	23	बधियाटोला	बधियाटोला	नगर पालिका क्षेत्र	438.857	
	पटवारी हल्के का योग						1		438.857	
79	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	24	24	छीरपानी	छीरपानी	नगर पालिका क्षेत्र	166.549	
80	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	24	24	छीरपानी	रामनगर	नगर पालिका क्षेत्र	101.010	
	पटवारी हल्के का योग						2		267.559	
81	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	25	25	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	नगर पालिका क्षेत्र	612.815	
	पटवारी हल्के का योग						1		612.815	
	रा.नि.म. का योग			3	3	3	4		1319.231	
82	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	26	26	चौथना	चौथना	चौथना	404.531	
83	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	26	26	चौथना	खुर्सीपार खुर्द	चौथना	290.333	
84	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	26	26	चौथना	खोलारघाट	चौथना	328.366	
85	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	26	26	चौथना	भरीटोला	चौथना	133.942	
86	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	26	26	चौथना	बछेराभांठा	बछेराभांठा	571.349	
87	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	26	26	चौथना	लेडीजोब	बछेराभांठा	147.832	
	पटवारी हल्के का योग						6	2	1876.353	

	तहसील का नाम	वर्तमान राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः कमांकित प.ह.न.			प.ह.न.में शामिल ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत
				वर्तमान प.ह.न.	प्रस्तावित हल्का नम्बर	मुख्यालय का नाम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	27	27	बोरतलाव	बोरतलाव	बोरतलाव	1277.896	
89	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	27	27	बोरतलाव	कौहापानी	बोरतलाव	236.737	
90	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	27	27	बोरतलाव	कुरेझर	बोरतलाव	205.741	
91	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	27	27	बोरतलाव	मुरारपानी	बोरतलाव	110.365	
92	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	27	27	बोरतलाव	छिन्दीजोब	बोरतलाव	299.251	
93	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	27	27	बोरतलाव	बरनाराकला	बरनाराकला	356.871	
94	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	27	27	बोरतलाव	पनियाजोब	बरनाराकला	444.548	
95	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	27	27	बोरतलाव	राऊरकसा	बरनाराकला	135.692	
96	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	27	27	बोरतलाव	लालबांधा	बरनाराकला	610.119	
	पटवारी हल्के का योग						9	2	3677.220	
97	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	28	28	अण्डी	अण्डी	अण्डी	991.677	
98	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	28	28	अण्डी	चिद्दो	चिद्दो	452.923	
99	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	28	28	अण्डी	खरकाटोला	चिद्दो	228.797	
	पटवारी हल्के का योग						3	2	1673.397	
100	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	29	29	गाजमर्रा	गाजमर्रा	गाजमर्रा	281.241	
101	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	29	29	गाजमर्रा	राजकटटा	गाजमर्रा	226.506	
102	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	29	29	गाजमर्रा	राका	राका	367.631	
103	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	29	29	गाजमर्रा	कुरूभाठ	राका	315.741	
	पटवारी हल्के का योग						4	2	1191.119	
104	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	30	30	भण्डारपुर	भण्डारपुर	भण्डारपुर	424.578	
105	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	30	30	भण्डारपुर	पिपरिया	पिपरिया	312.571	
106	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	30	30	भण्डारपुर	माटेकुटा	पिपरिया	265.975	
	पटवारी हल्के का योग						3	2	1003.124	
107	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	31	31	मुरमुंदा	मुरमुंदा	मुरमुंदा	588.646	
108	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	31	31	मुरमुंदा	मुडपार	मुडपार	531.537	
109	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	31	31	मुरमुंदा	खलारी	खलारी	480.364	
110	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	31	31	मुरमुंदा	मेरेगांव	खलारी	157.319	
	पटवारी हल्के का योग						4	3	1757.866	
111	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	32	32	रेंगाकठेरा	रेंगाकठेरा	रेंगाकठेरा	545.522	
112	डोंगरगढ़	चौथना	चौथना	32	32	रेंगाकठेरा	मुंदगांव	मुंदगांव	555.519	
	पटवारी हल्के का योग						2	2	1101.041	
	रा.नि.म. का योग			7	7	7	31	15	12280.120	
	तहसील का योग			32	32	32	112	61	42831.784	

प्रारूप – 2

तहसील डोंगरगढ़ पुनर्गठन पश्चात् नवीन तहसील लाल बहादुर नगर में प्रस्तावित नवीन हल्कों की जानकारी

	तहसील का नाम	वर्तमान राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः कमांकित प.ह.न.			प.ह.न.में शामिल ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत
				वर्तमान प.ह.न.	प्रस्तावित हल्का नम्बर	मुख्यालय का नाम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	47	1	सीतागोटा	सीतागोटा	सीतागोटा	981.376	
2	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	47	1	सीतागोटा	सेलपार	सीतागोटा	178.802	
3	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	47	1	सीतागोटा	कोठीटोला	कोठीटोला	328.742	
4	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	47	1	सीतागोटा	मकरनपुर	कोठीटोला	232.991	
5	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	47	1	सीतागोटा	नवागांव	कोठीटोला	344.390	
			चारभाटा				5	2	2066.301	
6	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	48	2	बागनदी	बागनदी	बागनदी	668.420	
7	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	48	2	बागनदी	बोदालदंड	बागनदी	356.680	
8	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	48	2	बागनदी	टाटेकसा	टाटेकसा	377.814	
9	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	48	2	बागनदी	खैरबना	टाटेकसा	408.589	
10	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	48	2	बागनदी	दीवानटोला	टाटेकसा	277.314	
			चारभाटा				5	2	2088.817	
11	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	49	3	कनेरी	कनेरी	कनेरी	361.928	
12	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	49	3	कनेरी	गुडेरी	कनेरी	183.811	
13	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	49	3	कनेरी	भगवानटोला	भगवानटोला	214.867	
14	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	49	3	कनेरी	घोरतलाव	भगवानटोला	403.297	
15	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	49	3	कनेरी	बंजरंगीडीह	भगवानटोला	178.999	
16	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	49	3	कनेरी	आलेदण्ड	भगवानटोला	263.660	
			चारभाटा				6	2	1606.562	
17	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	45	4	पीपरखारकला	पीपरखारकला	पीपरखारकला	358.799	
18	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	45	4	पीपरखारकला	खमपुरा	पीपरखारकला	580.247	
19	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	45	4	पीपरखारकला	खुर्सीपारकला	पीपरखारकला	346.487	
20	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	45	4	पीपरखारकला	बुढ़ानछापर	बुढ़ानछापर	777.048	
21	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	45	4	पीपरखारकला	भालूकोन्हा	बुढ़ानछापर	165.738	
22	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	45	4	पीपरखारकला	भुरसाटोला	बुढ़ानछापर	316.766	
23	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	45	4	पीपरखारकला	मागीखुंटा	बुढ़ानछापर	940.034	
			चारभाटा				7	2	3485.119	

	तहसील का नाम	वर्तमान राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः क्रमांकित प.ह.न.			प.ह.न.में शामिल ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत
				वर्तमान प.ह.न.	प्रस्तावित हल्का नम्बर	मुख्यालय का नाम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	44	5	पीटेपानी	पीटेपानी	पीटेपानी	862.070	
25	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	44	5	पीटेपानी	बांसपहाड़	पीटेपानी	404.956	
26	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	44	5	पीटेपानी	कोटनापानी	कोटनापानी	558.048	
27	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	44	5	पीटेपानी	दमउदहरा	कोटनापानी	423.008	
28	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	44	5	पीटेपानी	पिटहर	कोटनापानी	296.101	
			चारभाटा				5	2	2544.183	
29	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	46	6	बागरेकसा	बागरेकसा	बागरेकसा	1410.197	
30	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	46	6	बागरेकसा	कारूटोला	कारूटोला	779.653	
			चारभाटा				2	2	2189.850	
31	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	50	7	चारभांठा	चारभांठा	चारभांठा	733.940	
32	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	50	7	चारभांठा	बंजारी	चारभांठा	277.310	
33	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	50	7	चारभांठा	फतेगंज	चारभांठा	363.591	
34	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	50	7	चारभांठा	मोहनपुर	मोहनपुर	801.458	
			चारभाटा				4	2	2176.299	
35	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	51	8	नारायणगढ़	नारायणगढ़	नारायणगढ़	811.271	
36	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	51	8	नारायणगढ़	रामपुर	रामपुर	443.873	
37	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	51	8	नारायणगढ़	रानीतलाब	रामपुर	149.453	
			चारभाटा				3	2	1404.597	
38	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	43	9	मुंगलानी	मुंगलानी	मुंगलानी	620.167	
39	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	43	9	मुंगलानी	कोहलाकसा	मुंगलानी	287.480	
40	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	43	9	मुंगलानी	झिंझारी	झिंझारी	489.328	
41	ला.ब.नगर	चारभाटा	चारभाटा	43	9	मुंगलानी	सेनडोंगर	झिंझारी	74.442	
							4	2	1471.417	
रा.नि.म चारभाटा का योग				9	9	9	41	18	19033.145	
42	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	42	10	मढ़ियान	मढ़ियान	मढ़ियान	925.176	
43	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	42	10	मढ़ियान	खुबाटोला	खुबाटोला	638.475	
44	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	42	10	मढ़ियान	बरमपुर	खुबाटोला	183.676	
			ला0ब0नगर				3	2	1747.327	
45	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	41	11	ठाकुरटोला	ठाकुरटोला (से.)	ठाकुरटोला (से.)	606.441	
46	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	41	11	ठाकुरटोला	सेन्दरी	सेन्दरी	437.270	
47	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	41	11	ठाकुरटोला	भेलवाटोला	सेन्दरी	349.325	
			ला0ब0नगर				3	2	1393.036	

	तहसील का नाम	वर्तमान राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	प्रस्तावित राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	पुनः कमांकित प.ह.न.			प.ह.न.में शामिल ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कैफियत
				वर्तमान प.ह.न.	प्रस्तावित हल्का नम्बर	मुख्यालय का नाम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	40	12	रामाटोला	रामाटोला	रामाटोला	477.358	
49	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	40	12	रामाटोला	बिच्छीटोला	बिच्छीटोला	242.853	
50	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	40	12	रामाटोला	कुन्डाटोला	बिच्छीटोला	319.043	
			ला0ब0नगर				3	2	1039.254	
51	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	37	13	भोथली	भोथली	भोथली	599.707	
52	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	37	13	भोथली	कल्याणपुर	कल्याणपुर	330.557	
			ला0ब0नगर				2	2	930.264	
53	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	38	14	मोतीपुर	मोतीपुर	मोतीपुर	356.285	
54	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	38	14	मोतीपुर	गोविन्दपुर	मोतीपुर	244.799	
55	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	38	14	मोतीपुर	धनडोंगरी	धनडोंगरी	519.519	
56	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	38	14	मोतीपुर	मानिकपुर	धनडोंगरी	229.760	
							4	2	1350.363	
57	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	39	15	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	993.265	
58	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	39	15	ला.ब.नगर	मक्काटोला	मक्काटोला	331.161	
59	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	39	15	ला.ब.नगर	हीरापुर	मक्काटोला	233.789	
			ला0ब0नगर				3	2	1558.215	
60	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	35	16	उरईडबरी	उरईडबरी	उरईडबरी	793.614	
61	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	35	16	उरईडबरी	झण्डातालाब	झण्डातालाब	838.113	
			ला0ब0नगर				2	2	1631.727	
62	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	36	17	पटपर	पटपर	पटपर	864.349	
63	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	36	17	पटपर	पिनकापार	पिनकापार	715.029	
			ला0ब0नगर				2	2	1579.378	
64	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	33	18	मेढ़ा	मेढ़ा	मेढ़ा	759.799	
65	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	33	18	मेढ़ा	डुंडेरा	डुंडेरा	861.315	
							2	2	1621.114	
66	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	34	19	कोलिहापुरी(नवा)	कोलिहापुरी(नवा)	कोलिहापुरी(नवा)	712.289	
67	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	34	19	कोलिहापुरी(नवा)	नवागांव	कोलिहापुरी(नवा)	287.188	
68	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	34	19	कोलिहापुरी(नवा)	अमलीडीह	अमलीडीह	492.083	
69	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	34	19	कोलिहापुरी(नवा)	टप्पा	टप्पा	259.203	
70	ला.ब.नगर	ला.ब.नगर	ला0ब0नगर	34	19	कोलिहापुरी(नवा)	गिधवा	टप्पा	162.863	
							5	3	1913.626	
रा.नि.म ला.ब.नगर का योग				10	10	10	29	21	14764.304	
तहसील का योग			2	19	19	19	70	39	33797.449	